

आम तब व
किया जाना है

Om

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील दारिजिरी नहीं है
तामिले पूर्ण नहीं है। बार-बार आवाज लम्बा
जाने के बावजूद वकील वकील उपस्थित नहीं
हए। आतः प्ररुण आम दारिजिरी व आम
पैरबी में अन्तर्गत 0-9, R-3 जा. की. के
17 दारिजिरी किया जाता है। पत्रावली में
फैलल शमार होकर वकील वकील दारिजिरी
दफ्तर हो। निर्णय रुबले न्यायालय में
सुनाया गया। Om

उपररुण्ड अधिकारी
सांभर लेक

